न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 22 / 2020 **दायर दिनांकः 19 / 02 / 2020**

उनवान

1. प्रीतम सिंह आयु 34 वर्ष पुत्र नेमीचन्द
2. हिम्मत सिंह आयु 26 वर्ष पुत्र नेमीचन्द जातियान मीना निवासीगण खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. नेमीचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र गोरधन जाति मीना निवासीगण खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश दिनाकः 20 / 02 / 2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 183, 188 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 170 का ख0नं0 147 का रकबा 1.24 है0 ख0न0 147/1303 का रकबा 0.10 है0 ख0नं0 166 का रकबा 0.10 है0 ख0नं0 167 का रकबा 0.10 है0 ख0नं0 168 का रकबा 0.04 है0 ख0नं0 169 का रकबा 0.01 है0 ख0नं0 170 का रकबा 0.16 है0 ख0नं0 171 का रकबा 0.13 है0 ख0नं0 173 का रकबा 0.14 है0 ख0नं0 174 का रकबा 0.27 है0 ख0नं0 176 का रकबा 0.02 है0 कुल किता 11 का कुल रकबा 2.31 हे0 प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाते चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 पेश है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी गोरधन के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीक्रम 1 को पिता गोरधन से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/6, 1/6 बनता है जिसमे वादीगण का जन्म से ही

अधिकार बनता है। मद न0 1 में वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/6 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादीक्रम 1 से किया तो प्रतिवादीक्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 10.01.2020 को प्रतिवादक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/6 1/6 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावे। परंतु प्रतिवादीक्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना साहयता न्यायालय प्रतिवादक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से 1/6 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/6 को अपने नामखाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 07.02.2020 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू, जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादक्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीक्रम क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादी

कम 1 के मुताबिक हिस्सा 1/6, 1/6 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है। ग्राम एवं माल खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 170 की कुल किता 11 की 2.31 है0 आराजी मे प्रतिवादीकम 1 का हिस्सा) दर्ज खाता है जो प्रतिवादी की पैतक सम्पत्ति है जिसमे वादीगण व प्रतिवादीकम 1 का हिस्सा 1/6 1/6 बनता है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है जो राजीनामा निम्न प्रकार है। ग्राम व माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू की खाता संख्या 170 की ख0नं0 147 की 1.24 है0 ख0नं0 147/1303 की 0.10 है0 ख0नं0 166 की 0.10 है0 ख0नं0 167 की 0.10 है0 ख0नं0 168 की 0.04 है0 ख0नं0 169 की 0.01 है0 ख0नं0 170 की 0.16 है0 ख0नं0 171 की 0.13 है0 ख0नं0 173 की 0.14 है0, ख0नं0 174 की 0.27 है0 ख0नं0 176 की 0.02 है0, कुल किता 11 की 2.31 है0 में वादीगण 1 लगायत 2 व प्रतिवादी कम 1 को हिस्सा 1/6, 1/6 को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के मध्य हुए राजीनामे को तस्दीक करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री चन्दालाल नागर द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम खरखडा रामलोथान के खाता संख्या 170 की कुल किता 11 की 2.31 है0 आराजी में प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है, जो वादीगण के दादाजी के खाते की थी, जो पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमे वादीगण का हिस्सा निहित है।

अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 170 की किता 11 का रकबा 2.31 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 में से वादीगण 1, 2 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन SBI अटरू के खाते में नोट अंकित किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 22/2020

उनवान

1. प्रीतम सिंह आयु 34 वर्ष पुत्र नेमीचन्द
2. हिम्मत सिंह आयु 26 वर्ष पुत्र नेमीचन्द जातियान मीना निवासीगण खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. नेमीचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र गोरधन जाति मीना निवासीगण खरखड़ा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगण:– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादी:– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 170 की किता 11 का रकबा 2.31 है0 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 में से वादीगण 1, 2 व प्रतिवादी कम 1 को 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन SBI अटरू के खाते में नोट अंकित किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 14:06:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: